राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 1761/2025

विजय कुमार मीणा —**अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर।
3. कपिल महावर मु0 देलवास सहायक निदेशक कृषि विस्तार चित्तौडगढ़।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.03.2025
उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मु0 बोरीनाकलां, सहायक निदेशक कृषि (वि0) सांगोद, कोटा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/ स्थानांतरण मु0 देलवास, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), चित्तौड़गढ किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त फरमाये जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मु0 बोरीनाकलां, सहायक निदेशक कृषि (वि0) सांगोद, कोटा में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किये जाने का प्रश्न है, तो हम पाते हैं कि *मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति कमांक प.11(6)मं.मं./2023 जयपुर दिनांक 15.03.2024 के द्वारा माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा एवं जल अभियोजन निराकरण विभाग, पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित किया हुआ है।* अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में शर्त संख्या–4 निम्न प्रकार से अंकित हैः– ''यह आदेश माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा एवं जल अभियोजन निराकरण विभाग, पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार से अनुमोदित है।'' आलोच्य आदेश में भी सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् आदेश जारी किये जाने का तथ्य अंकित है।

5. हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। इस संबंध में हमारा मत है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य